JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में चुनाव सुधार – एक मूल्यांकन

दौलत पटेल शोध केन्द्र – शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) शोध पत्र का सारांश

जीवंत लोकतंत्र के लिये आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिये एक अच्छे और नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत नागरिक को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाये जिससे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिले और उम्मीदवार सकारात्मक वोट पर चुनाव जीते। इसके साथ ही राजनीतिक दल भी अच्छे उम्मीदवारों को चुनावों में उतारने के लिये मजबूर हो अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे और इनमें धांधली नहीं होती है तो निश्चित ही हमारा देश समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर होकर विश्वगुरू की हैसियत में आ जायेगा।

कुंजी शब्द

चुनाव सुधार, लोकतंत्र, संविधान

ण. शोधार्थी, विधि संकाय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, शोध केन्द्र – शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

इस शोध पत्र का उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की संभावनाओं को तलाशना और चुनाव में संभावित गड़बड़ियों और भ्रष्ट व्यवहारों एवं अपराधों को रोकने के लिये सुझाव प्रस्तुत करना हैं।

भारत दुनिया का बड़ी आबादी वाला देश है। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। भारत के संविधान में चुनावी कानून से सम्बन्धित मदतान के अधिकार के सम्बन्ध में कई बार सुधार किया गया है। मतदान के अधिकार की गरिमा बनाये रखना और सभी

सभावित स्तरों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये विधि तथा नियमों/विनयम को बनाये गये हैं। चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में संवैधानिक अनुच्छेद 324 से लेकर 328 तक संविधन में दिये गये हैं। अनुच्छेद–324 के अन्तर्गत चुनाव आयोग को चुनाव के लिये पूरी प्रक्रिया और मशीनरी और कुछ अन्य सहायक मामलों के प्रवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपता है। अनुच्छेद–325 संसद के सदन या राज्य के किसी विधान मण्डल के किसी भी सदन के चुनाव के लिये प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक सामान्य मतदाता सूची होगी और कोई भो व्यक्ति ऐसी किसी भी सूची में शामिल होने का दावा करने के लिये अपात्र नहीं होगा। ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इसमें से किसी के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में
शामिल होंगे। अनुच्छेद–326 प्रावधान करता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधान मण्डल के लिये चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद–327 विधान मण्डलों के चुनाव के सम्बन्ध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति इस संवधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय–समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन के चुनाव से सम्बन्धित उसके सम्बन्ध में सभी मामलों के सम्बन्ध में प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद–328 इस संविधान के प्रावधनों के अन्तर्गत किसी राज्य के विधानमण्डल को ऐसे विधान मण्डल के चुनाव के सम्बन्ध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये चुनाव प्रक्रिया के नियमों, विनियमों को निर्देशों में कई बार बदलाव किया गया है।

भारतीय चुनाव प्रक्रिया जिन प्रमुख मुद्दों का सामना कर रही है उसमें प्रमुख रूप से पैसा और शक्ति है। उम्मीदवार प्रचार–प्रसार के लिये पैसा खर्च करते हैं और अपनी–अपनी पार्टियों के एजेंडे का प्रचार करती हैं। लोगों को पार्टियों की ताकत समझाने के लिये और उन्हें वोट देने के लिये मजबूर करने के लिये धन सहित बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती है और पार्टियाँ अपनी विधानसभा में स्वीकार सीमा से अधिक धन खर्च करती हैं तथा राजनीकि पूर्वागृह और विचारों में मतभेद के कारण गैर–कानूनी घटनाएं भी सुनने को

मिलती हैं। जैसे – बूथों का कब्जा करना, स्थानीय लोगों को डराना और हिंसा करना एक दिनचर्या भी बन गई है।

भारत में आयोजित चुनाव प्रक्रिया का एक विनाशकारी मुद्दा, चुनाव में बाहुबल और धनबल है जिसका प्रयोग करके राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और अपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट मिल रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरूप्रयोग जैसे वाहनों, औजारों और कानूनी पेशेवरों का उपयोग हो रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास, लोकतांत्रिक अधिकारों का वास्तविक स्परूप खराब हो रहा है। इसके अलावा जातिवाद, साम्प्रदायिका तथा धर्म इत्यादि आधारों पर वोट आकृषित किये जा रहे हैं

इन मुद्दों के कारण विधि को अधिक कठिन बनाने के लिये चुनाव सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई तथा इन मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव सुधारों को लेकर कुछ संशोधन किये गये हैं। जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :–

1) भारतीयों के लिये मतदान की आयु 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

2) चुनाव कार्मिक निगरानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई है।

3) इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीन (म्टड) की शुरूआत होने से बेहतर और कुशल प्रक्रिया की शुरूआत हुई है।

4) चुनाव प्रक्रिया में भी बदलाव आया है भारत वर्ष में 2 से अधिक निर्वाचनों क्षेत्रों में किसी एक उम्मीदवार को लड़ने की अनुमति नहीं है।

5) चुनाव में धन खर्च करने की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है जिसमें लोकसभा में वह रकम 30 से 70 लाख और विधानसभा में 20 से 28 लाख खर्च सीमा तय कर दी गई है।

6) चुनाव परिणामों का प्रसारण किसी भी तरह से गुमराह करने के लिये अंतिम चरण से पहले परिणामों का प्रसारण बंद किया गया है। डाक मतपत्र चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त कर्मियों और अधिसूचित मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है।

7)

राष्ट्रीय मतदाता दिवस चुनाव में जागरूकता पैदा करने के लिये 25 जनवरी को मनाया जाता है जो लोगों को चुनाव करने के लिये प्रोत्साहित करता है। चुनाव लड़ने के लिये जमानत राशि के साथ–साथ नामांकन पत्र पर प्रस्तावकों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

8)

मतदान केन्द्र के आसपास हथियार रखने पर निषेध किया गया है।

9) पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के अन्दर चुनाव कराने का प्रावधान है।

10) मतदान क्षेत्रों के भीतर शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

भारत को चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये चुनाव आयोग द्वारा बहुत से संशोधन और सुधार किये गये हैं। लोकतंत्र के लिये यह आवश्यक है कि अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाये इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिल सके। साथ ही इससे ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है जो सकारात्मक वोट पर चुनाव जीतते हैं एक जीवत लोकतंत्र में मतदाता को उम्मीदवारों को चुनने का या स्वीकार करने का अवसर होता है। इसलिए राजनैतिक दल चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों को उतारने पर मजबूर होते हैं। सरकार, न्यायालयों और चुनाव आयोग द्वारा बहुत से सुधार किये गये हैं इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसे –

1) जनचौकीदारी विरूद्ध भारत संघ (2013) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया जो उम्मीदवार विधिपूर्ण और न्यायिक अभिरक्ष में है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।

2) लिली थॉमस विरूद्ध भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि सांसद और विधायक अगर दोष सिद्ध होते हैं तो वे निर्योग्य घोषित हो जायेंगे।

3) मतदाताओं को नकारात्मक वोट देने का अधिकार है।

4) सुब्राहमण्यम स्वामी विरूद्ध निर्वाचन आयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि वी.वी. पेट निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिये आवश्यक है। सर्रोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किये हैं।

इसके अलावा उच्च न्यायालयों ने भी समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये हैं कि जाति आधारित रेलियाँ आयोजित नहीं की जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में यह भी निर्धारित किया कि कोई उम्मीदवार अगर अपने नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारियाँ छिपाता है जिससे उसके सम्पत्ति एवं अपराध के सम्बन्ध में जानकारी छिपाता है तो उसका नामांकन पत्र अस्वीकार किया जायेगा। चुनाव सुधार के लिये समय–समय पर समितियाँ भी घटित की जाती रही है जैसे – चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति, राजनीति के अपराधीकरण पर बोहरा समिति, चुनाव के राज्य वित्त पोषण पर इन्द्रजीत गुप्ता समिति, चुनाव आयोग, विधि आयोग एवं संविधान की समीक्षा के लिये एन.एम. वेन्कट चलइया समिति शासन में नैतिकता पर विरप्पा मौइली समिति। अगर सरकार इन समितियों की सिफारिशों को लागू करती है तो निश्चिय की चुनाव सुधार क सम्बन्ध में इन समितियों की सिफारिशें मील का पत्थर साबित होंगी क्योंकि साफ–सुथरे चुनाव और राजनतिक पारदर्शिता से लोकतंत्र वैधता मिलती है। ऐसे में इन महत्वपूर्ण समितियों की शिफारिशों को लागू करना बहुत जरूरी है जिससे हमारा लोकतन्त्र भ्रष्टाचार और अपराधिक माहोल से मुक्त

होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके और विश्वगुरू बन सके। संदर्भ ग्रंथ :–

1) Constitutional Law of India, By H.M. Seervei, 3rd Edition, N.M. Treepathi Private Limited, Bombay, 1984

2) भारत का संविधान, जयनारायण पाण्डे, 41वां संस्करण, प्रकाशक–सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, अलाहाबाद

3½ Constitutional Law, By Mamta Rao, 2nd Edition, Estern Book Company, 2021.

4) शोध प्रविधि, देवशंकर नवीन

5) How India votes by S.K. Mendiratta, 2014.

.....0.....